# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्रीमती मधु त्रिपाठी प्रधानाचार्य, राबाउमावि–पुंजला, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि–हीरादेसर, जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती त्रिपाठी द्वारा माननीय राजस्थान उंच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7459/2018 मधु त्रिपाठी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उस पर विधि अनुसार विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी सेवानिवृति में दो वर्ष से भी कम समय शेष रहने व स्वयं के हृदय एवं तन्त्रिका सम्बन्धी रोग से पीड़ित होने के मद्देनजर अपना स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 निरस्त कर पुनः राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुंजला जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 द्वारा राबाउमावि–पुंजला जिला जोधपुर में श्रीमती दीपिका भाटी को पदस्थापित किये जाने के कारण प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। श्रीमती मधु त्रिपाठी को वर्तमान में राउमावि–लोरड़ी जिला जोधपुर में स्थानान्तरित/पदस्थापित कर अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। अतः उनके द्वारा की गई मांग नियमानुकुल नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मधु त्रिपाठी/याचिका/7459/2018** **दिनांक** 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य डीपीसी/18–19/2018 दिनांक 02.06.2018 द्वारा राजेश कुमार जैन (व.क्र. 431/2013–14), प्रधानाध्यापक–राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर, अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–कांतल का पर जिला बाड़मेर में पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राजेश कुमार जैन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 2194/2018 राजेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं 2194/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2018 द्वारा अपील को ग्राह्यता के क्रम पर ही समुचित निर्देशों के साथ अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थीगण को यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष अलवर जिले में प्रधानाचार्य के कथित 16 रिक्त पदों बाबत् अभ्यावेदन व अन्य कठिनाईयों के सम्बन्ध में मय प्रमाणों के अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावे तो वे अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः अलवर जिले में खाली पदों बाबत रि–काउन्सलिंग करके उसके अभ्यावेदन को सकारण आदेश से विनिश्चित करें। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक आलोच्य आदेश दिनांक 02.06.2018 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी राजेश कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि परामर्श शिविर के समय अलवर जिले में प्रधानाचार्य के 16 पद रिक्त थे जिन्हें तत्समय प्रदर्शित नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें अन्य जिले हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। अपीलार्थी द्वारा अपना पदस्थापन अपने गृह जिले अलवर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा काउन्सलिंग के समय सहमति पत्र के माध्यम से राउमावि कांतल का पर जिला बाड़मेर हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी। जहां तक अपीलार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांकः प. 17 (4) शिक्षा–2/2009 दिनांक 12.02.2016 की अनुपालना में प्रत्येक जिले से पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या, जो भी कम हो, के बराबर पदोन्नत प्रधानाचार्यो के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है। काउन्सलिंग के समय उपलब्ध समस्त रिक्तियों को याचिकार्थी के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। काउन्सलिंग प्रक्रिया में प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित को ध्यान में रखकर ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। विभाग द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में पदों को भरने के प्रयास अनवरत रूप से यथासंभव किये जाते रहें हैं ताकि इन जिलों में शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित किया जा सके। अपीलार्थी से उच्च वरीयता धारित कार्मिकों को भी कालान्तर में गृह जिले से बाहर पदस्थापन मिला है। अतः गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी उनकी मांग उचित नहीं है।

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य व छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित करने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी राजेश कुमार जैन, प्रधानाध्यापक रामावि मिर्जापुर, किशनगढ़बास जिला अलवर का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/राजेश जैन/अपील/2194/2018** **दिनांक** : 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/अलवर संभाग, जोधपुर/अलवर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाड़मेर/अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बाड़मेर/अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. श्री राजेश कुमार जैन, प्रधानाध्यापक रामावि–मिर्जापुर, किशनगढ़बास जिला अलवर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)